[2021] 6 एस. सी. आर 1176

प्रेम शंकर प्रसाद

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1209/2021)

21 अक्टूबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, न्यायमुर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 438-अग्रिम जमानत-प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा एस. एस. के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आई.पी.सी. की धाराओ 406, 407, 468 और 506 के तहत दर्ज की गई प्रथम सुचना विवर्णिका। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट-इसके बाद, प्रतिवादी नं.2 फरार था और गिरफ्तारी के वारंट की तामीला से बचने के लिए खुद को छिपा रहा था-मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी सं2 के खिलाफ धारा82 सी. आर. पी. सी. के तहत उद्घोषणा जारी की- इसके बाद प्रतिवादी नं.2 ने निचली अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया-शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी सं. 2 को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की।अभिनिर्धारित किया:जाँच के बाद प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 406, 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया।इस प्रकार, यह पाया गया कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था-मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसके बाद Cr.PC के धारा 82-83 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही शुरू किया गया था - उच्च न्यायालय ने सी आर पी सी के धारा 82-83 के तहत कार्यवाही शुरू करने के तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। अनुदान पर उपरोक्त प्रासंगिक पहलू अग्रिम जमानत को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय द्वारा बहुत

गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था, न कि आकस्मिक रुप से इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सी.आर.पी.सी के धारा 82-83 के तहत कार्यवाही की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को अग्रिम जमानत देने में त्रुटियां की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. जाँच के बाद प्रतिवादी सं. 3 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी आरोपी प्रतिवाद सं. 3 के विरुद्ध आरोप का दाखिल किया गया।इस प्रकार, यह पाया गया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है।यह अभिलेख में आया कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार Cr.PC की धारा 82-83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।इसके बाद ही प्रतिवादी संख्या 2 ने अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया।[कंडिका 7.1] [1181-बी-सी]

2. इस तथ्य के बावजूद कि यह उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि अभियुक्त प्रतिवादी सं.-2 दोषी फरार था और यहां तक कि सी.आर.पी.सी की धाराओं 82-83 के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई थी, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया और अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2 को अग्रिम जमानत दे दी-यह देखते हुए कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेनदेन से उत्पन्न हो रही थी।धोखाधड़ी आदि के विशिष्ट आरोपों पर, जिन पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी केवल यह कहते हुए कि जैसा हो सकता है वैसा रहने दे, Cr.PC की धारा 82-83 के तहत कार्यवाही शुरू करने के तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। अग्रिम जमानत देने पर उपरोक्त प्रासंगिक पहलू को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय द्वारा बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था न कि आकस्मिक रूप से। इस प्रकार उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के तहत कार्यवाही की अनदेखी करते हुए अभियुक्त प्रतिवादी सं. 2 को अग्रिम जमानत की मंजुरी देने मे त्रुटियाँ की है। [कंडिका 7.2,7.3] [1182-H]1183-A-B]1185-G]

3. यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रत्यर्थी संख्या 2 को अग्रिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियों कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेनदेन से उत्पन्न हो रही है और इसलिए अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि एक व्यावसायिक लेनदेन के मामले में भी आई. पी. सी. विशेष रूप से धारा 406,420,467,468, आदि के तहत अपराध हो सकते हैं। जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है आरोप की प्रकृति और आरोप और यह नहीं कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेनदेन से उत्पन्न हो रही है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त पर धारा 406 और 420 आदि के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है और मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। [कंडिका 8] [1185-एच; 1186-ए-बी]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2014) 2 एससीसी 171:[2013] 12 एस. सी. आर. 772-संदर्भित।

<u>वाद निर्णय का संदर्भ</u>

[2013] 12 एससीआर 772	संदर्भित किया गया है	पारा 4.5

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः की आपराधिक अपील No.1209/2021

2019 के आपराधिक विविध सं. 50530 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 14.08.2019 से।ऋतुराज विश्वास, ऋतुराज चौधरी, सुश्री सुजय बर्धन, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

देवाशीष भारुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, मानस स्याल, अभिषेक, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह, न्यायधीश द्वारा प्रदत

<u>निर्णय</u>

1. 2020 की पटना में आपराधिक विविध आवेदन संख्या 50530 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त, 2019 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और

असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित आपराधिक विविध आवेदन को मंजूरी दी है और इसमें प्रतिवादी संख्या 2 को अग्रिम जमानत दी है, मूल मुखबिर-शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406,407,468,506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2018 की मामला संख्या 453 में अपीलार्थी द्वारा छपरा टाउन थाना, सारण में प्रत्यर्थी नं. 2 के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई। विद्वत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया।ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद प्रत्यर्थी नं. २ अभियुक्त फरार है और गिरफ्तारी के वारंट की तामील से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है। इसके बाद विद्वत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ उद्घोषणा जारी की। इसके बाद ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई, प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त ने विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया। दिनांक 29.01.2019 के एक विस्तृत आदेश द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय ने कथित अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया और गुणागुण के साथ-साथ इस आधार पर अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया कि क्योंकि अभियुक्त फरार है और यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही जारी की गई है, अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। उसके बाद आरोपी ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस तथ्य के बावजूद कि यह विनिर्दिष्ट रूप से उच्च न्यायालय को बताया गया था कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन उद्घोषणा की प्रक्रिया जारी की जा चुकी है, अभियुक्त को आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पूर्वोक्त सुसंगत पहलू की उपेक्षा करते हुए अग्रिम जमानत के विशेषाधिकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कि निचली अदालत में उसकी गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण के छः सप्ताह के अंदर उसे 10,000/- रुपये के बंधपत्र समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सारण, छपरा की संतुष्टि में और दं.प्र.सं. की धारा 438 (2) में अंतर्निहित शर्त्तों के अधीन दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

3. प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त को अग्रिम जमानत मंजूर करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल मुखबिर/शिकायतकर्ता अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

4. श्री रितुराज विश्वास, अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन को मंजूर करने में गंभीर त्रुटि की है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बच रहा था और यहां तक कि अन्वेषण अभिकरण के साथ सहयोग नहीं किया और गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के पश्चात् भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं, उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन को मंजूर नहीं करना चाहिए था।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ करने के तथ्य को इंगित किया गया था, उच्च न्यायालय ने उसकी अनदेखी की है।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी अभिकथित अपराधों की गंभीरता को बिल्कुल नहीं माना है अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420 के अधीन अपराध, जिन पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को नामंजूर करते समय विस्तार से विचार किया गया था।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी नं. 2 को केवल किसी कारोबार संव्यवहार से उद्भूत होने वाले आरोप की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत मंजूर की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कि केवल इसलिए कि यह एक व्यावसायिक लेनदेन था, आरोपों की प्रकृति पर आगे विचार किए बिना उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए थी।

4.5 मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2014) 2 एस. सी. सी. 171 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय पर निर्भर करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है

कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, अग्रिम जमानत के फायदे का हकदार नहीं है।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थी नं. 2 के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया है।

4.7 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील और को अनुमति दी जाए और प्रत्यर्थी नं. २ अभियुक्त को अग्रिम जमानत मंजूर करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री देवाशीष भारुका ने अपीलार्थी का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४०६ और ४२० के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

6. श्री अभिषेक, प्रत्यर्थी नं. २ की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह मत व्यक्त किया है कि आरोप की प्रकृति किसी कारबार संव्यवहार से उद्भूत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि चेक दिया गया था और उसका अनादर किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि भा.दं.सं. की धारा ४०६ और ४२० के तहत अपराध किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिक से अधिक मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आ सकता है।

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार प्रत्यर्थी नं. 2-अभियुक्त पूछताछ के लिए उपलब्ध था और इसलिए फरार होने का कोई सवाल नहीं है।

6.3 प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वत वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस स्तर पर न्यायालय में केवल आरोप पत्र दाखिल किया गया है, लेकिन विद्वत दंडाधिकारी ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है।

7. हमने अपीलार्थी-मूल मुखबिर शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वत वकील के साथ-साथ राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वत वकील और प्रत्यर्थी आरोपी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना।

7.1 यह नोट किया जाना आवश्यक है कि जांच के बाद प्रत्यर्थी नं.2-भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी आरोपी के विरुद्ध आरोप का दाखिल किया गया है। अतः यह पाया गया है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह अभिलेख पर आया है कि विद्वत दंडाधिकारी द्वारा 19 दिसंबर 2018 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसके बाद 10.01.2019 को विद्वत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार दं.प्र.सं. सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। उसके बाद ही प्रत्यर्थी नं. २ ने अग्रिम जमानत के लिए विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश, सारण द्वारा एक तर्कसंगत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया.अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करते हुए विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश, सारण द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार हैंः-

> “अभिलेख का अवलोकन किया। जैसा कि मुखबिर प्रेम शंकर प्रसाद के टाइप किए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मुखबिर मां मेडिकल स्टोर, गांधी चौक, छपरा के नाम पर दवाओं का खुदरा दुकानदार है और याचिकाकर्ता उसका स्टाकीस्ट है जो रजनीश फार्मा, मौना पकारी के नाम से अपना व्यवसाय चलाता है। याची और मुखबिर के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए, मुखबिर ने दवा की खरीद के मामले में और चेक के माध्यम से याची को रु. ३६, ००, ०००/-/- दिए.जब सूचना देने वाले को अपेक्षित

राशि की आपूर्ति नहीं की गई तो सूचना देने वाले ने अपने 36,00,000/- रुपये की मांग की, तब याचिकाकर्ता ने 10,00,000/- रुपये का चेक दिया जिस पर 25 नवम्बर, 2017 को जारी 137763/- रुपये का चेक था, जो याचिकाकर्ता के केनरा बैंक में था।इसके बाद मुखबिर ने 20.06.18 को उससे पैसे की मांग की। लेकिन, याचिकाकर्ता के भाइयों ने मुखबिर के साथ दुर्व्यवहार किया। याचिकाकर्ता के भाइयों ने पुलिस से संपर्क न करने की अन्यथा परिणाम सबसे खराब होने की भी धमकी दी। इस सूचना पर छपरा टाउन थाना संख्या 453/2018 दर्ज किया गया और जांच आगे बढ़ी।

दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे यह पता चलता है कि पैरा 4 में मुखबिर का एक पुनः कथन है, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। पैरा 8,9,10 और 11 में गवाह अमित कुमार सिन्हा, अवधेश कुमार, धन्नू कुमार और उदय शंकर प्रसाद की दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत जांच की गई है, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है। पैरा 16 में एसडीपीओ, सदर का पर्यवेक्षण नोट है जिसमें अभियोजन का मामला भा.दं.सं. की धारा 420 और 406 तथा पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत् सही पाया गया है। दं.प्र.सं. की धारा 82 और 83 के तहत पैरा 23 में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रेसिस जारी किया गया है। पैरा 38 में एक गवाह आशुतोष मिश्रा, जो चिकित्सा प्रतिनिधि है, का एक बयान है और उसने कहा है कि रजनीश श्रीवास्तव, जो अपनी कंपनी की दवाओं को बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के स्टाकीस्ट है, जिसके दौरान उसने उससे 7,10,000/- रुपये की राशि उधार ली है.जब उसने रुपये वापस करने के लिए कहा तो उसने उक्त राशि का एक चेक जारी किया जो अपर्याप्त धन के कारण उसके बैंक द्वारा बाउंस कर दिया गया था।पैरा ३९ में एक अन्य गवाह प्रमोद कुमार ठाकुर से पूछताछ की गई है जिसने बयान दिया है कि इस याचिकाकर्ता रजनीश श्रीवास्तव ने जमीन खरीदने के बहाने

10,00,000/- रुपये की राशि उधार ली है। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे,रजनीश श्रीवास्तव ने उपर्युक्त राशि का एक चेक दिया जो बैंक द्वारा बाउंस कर दिया गया था। मामले में जांच अभी भी जारी है।

मामले के अभिलेख के अवलोकन से मुझे पता चला है कि मुखबिर ने इस याचिकाकर्ता को कुछ दवाओं की आपूर्ति करने के लिए 36,00,000/- रुपये की राशि देने का आरोप लगाया है, जिसकी न तो आपूर्ति की गई थी और न ही राशि कभी वापस की गई थी। बेशक, कथित राशि याचिकाकर्ता को एक मौखिक उपक्रम पर दी गई थी क्योंकि पूर्वोक्त प्रकथनों को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि कथित राश का प्रतिदाय करने के लिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.11.2017 के चेक संख्या 137763 वाला 10,00,000/- रुपये का चेक जारी किया है, जो बैंक में मुखबिर द्वारा पेश किया गया था, लेकिन उसे अभिलेख साथ बाउंस कर दिया गया था, मैं आगे पाता हूँ कि याचिकाकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों से पैसे उधार लेने की आदत है और फिर वह अपने खाते में पर्याप्त शेष के बिना भुगतान में चूक करता था, जो वाद दैनिकी के पैरा 38 और 39 में दर्ज होता है।"

7.2 गुण-दोष के आधार पर उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया था कि प्रत्यर्थी नं. २ अभियुक्त फरार है और यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ८२ और धारा ८३ के तहत कार्यवाहियां काफी पहले १०.०१.२०१९ को शुरू की गई हैं, उच्च न्यायालय ने आसानी से पूर्वोक्त प्रासंगिक पहलुओं की उपेक्षा की है और यह कहते हुए प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी है कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेनदेन से उत्पन्न हो रही है। धोखाधड़ी आदि के विशिष्ट आरोप, जिस पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के तहत कार्यवाही शुरू करने के तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है, इस टिप्पणी के सा कि चाहे जो भी हो अग्रिम जमानत की मंजूरी पर

पूर्वोक्त सुसंगत पहलू को उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा नहीं करना चाहिए था और उच्च न्यायालय द्वारा इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था न कि आकस्मिक रूप से।

7.3 मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अनुसार भगोड़ा/घोषित अपराधी घोषित किया जाता है तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है। पैराग्राफ 14 से 16 में, यह निम्नलिखित रूप में देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है किः

"14. उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, संहिता की धारा 438 को संदर्भित करना वांछनीय है जो निम्नानुसार पढा जाता हैः

> "438. गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत मंजूर करने के लिए निदेश(1) जहां कोई व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् -
>
> (i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता
>
> (ii) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसके अंतर्गत यह तथ्य भी है कि क्या उसने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास भोगा है;
>
> (iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और
>
> (iv) जहां आरोप आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार करके उसे आहत करने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाया गया है,

> या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दे या अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए अंतरिम आदेश जारी करेः
>
> बशर्ते कि जहां, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया है, वहां किसी पुलिस थाने के थाना प्रभारी को ऐसे आवेदन में गिरफ्तार किए गए आरोप के आधार पर बिना वारंट के आवेदक को गिरफ्तार करने की छूट होगी।"

उपर्युक्त उपबंध यह स्पष्ट करता है कि संहिता की धारा 438 के अधीन प्रयोक्तव्य शक्ति कुछ हद तक असाधारण प्रकृति की है और इसका प्रयोग केवल अपवादात्मक मामलों में किया जाना चाहिए जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाया जा सकता है या जहां यह अभिनिर्धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की संभावना नहीं है।

15. आद्री धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2005) 4 एससीसी 231] में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 438 की व्याप्ति पर निम्नलिखित रूप में विचार कियाः (एससीसी पीपी 311, पैरा 12)

> “16. धारा 438 एक प्रक्रियात्मक उपबंध है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है जो निर्दोषिता का दावा करने का हकदार है, क्योंकि वह धारा 438 के अधीन शक्ति (अपराध के लिए दोषसिद्ध) के प्रयोग के लिए आवेदन की तारीख को नहीं है जिसके संबंध में वह जमानत चाहता है। आवेदक को यह अवश्य दर्शित करना चाहिए कि उसके पास यह विश्वास करने का 'कारण' है कि उसे गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। 'विश्वास करने का कारण' अभिव्यक्ति का उपयोग दर्शाता है कि यह विश्वास कि आवेदक को गिरफ्तार किया जा सकता है, उचित आधारों पर आधारित होना चाहिए। केवल 'भय' 'विश्वास' नहीं है जिसके कारण आवेदक के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि उसे किसी प्रकार की अस्पष्ट आशंका है कि कोई उसके विरुद्ध आरोप लगाने जा रहा है जिसके अनुसरण

में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिन आधारों पर आवेदक का विश्वास आधारित है कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी जांच की जानी चाहिए। यदि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है तो यह संबंधित न्यायालय पर निर्भर करता है कि क्या मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए कोई मामला बनाया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर एक व्यापक आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।धारा की उसी भाषा से इसका अर्थ है जो आवेदक से यह दिखाने की अपेक्षा करता है कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी विश्वास को तभी उचित आधार पर स्थापित कहा जा सकता है जब कुछ ठोस हो जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आवेदक की यह आशंका सही है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सामान्यतः इस आशय का निदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए कि आवेदक को 'जब कभी भी किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाए' जमानत पर रिहा किया जाएगा। इस तरह का 'व्यापक आदेश' पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी तरह की कथित गैरकानूनी गतिविधि को ढकने या बचाने के लिए एक ढाल के रूप में काम करेगा। धारा 438 के तहत एक आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक उपकरण है। यह न तो अपराध करने के लिए एक पासपोर्ट है और न ही किसी भी और सभी प्रकार के संभावित और असंभावित आरोपों के खिलाफ एक ढाल है। उपरोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में विचार किए गए मामले के तथ्यों के आधार पर, यह प्रथमदृष्टया ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है जहां संहिता की धारा ४३८ के संदर्भ में कोई आदेश पारित किया जा सके।"

16. हाल ही में, लवेश बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) [(2012)] में इस न्यायालय ने (जिसमें हम दोनों पक्षकार थे) संहिता की धारा 82 के संदर्भ में भगोड़ा या घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति के संबंध में धारा 438 के तहत राहत प्रदान

करने की गुंजाइश पर विचार किया। पैरा 12 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पृष्ठ 733)

> "12. इन सामग्रियों और सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलकर्ता पूछताछ और जांच के लिए उपलब्ध नहीं था और उसे 'भगोड़ा' घोषित किया गया था।सामान्यतः, जब अभियुक्त 'फरार' है और 'घोषित अपराधी' घोषित है तो अग्रिम जमानत मंजूर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।हम दोहराते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है या खुद को छिपा रहा है और संहिता की धारा 82 के संदर्भ में एक घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।"

उपर्युक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति संहिता की धारा 82 के संदर्भ में भगोड़ा/घोषित अपराधी घोषित किया जाता है तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।"

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अधीन कार्यवाहियों की उपेक्षा करते हुए प्रत्यर्थी नं. 2 अभियुक्त को अग्रिम जमानत मंजूर करने में त्रुटि की है।

8. यहां तक कि प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त को अग्रिम जमानत मंजूर करते समय उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेन-देन से उत्पन्न हो रही है और इसलिए अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है.व्यावसायिक संव्यवहार के मामले में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468 आदि के अधीन अपराध हो सकते हैं।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रत्यर्थी नं. 2 अभियुक्त को धारा 406 और 420 आदि के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त बनाया गया है और विद्वत मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2019 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश प्रत्यर्थी नं. २ अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और यह खारिज और अपास्त किये जाने लायस है और तदनुसार रद्द और अपास्त किया जाता है। हालांकि, इस निर्णय की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह का समय प्रत्यर्थी नं. २ को संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दिया जाता है और उसके बाद प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त नियमित जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता है, जिस पर कानून के अनुसार और उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार, वर्तमान अपील को पूर्वोक्त शर्तों के आधार पर अनुमति दी जाती है।

(एम आर शाह), न्यायमूर्ति

(ए एस बोपन्ना), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

21 अक्टूबर, 2021

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।